न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ. सौम्या झा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/17 अपील

1. रामूडी पुत्री वेणा भील पत्नी बदा भील आयु 42 वर्ष नि.बलीचा तह. गिर्वा हाल निवासी 706, झाडोल रोड नाई तह. गिर्वा उदयपुर

अपीलान्ट

बनाम

1. रमे"ा पिता मोहन भील आयु वयस्क निवासी ज्योति नगर तह. गिर्वा उदयपुर हाल निवासी बलीचा हनुमान फला तह. गिर्वा उदयपुर
2. अमरीबाई पत्नी चेना भील आयु वयस्क निवासी ज्योति नगर तह. गिर्वा उदयपुर
3. हीरा पुत्री मोहन भील जरिये संरक्षक माता रूपीबाई बेवा मोहन भील निवासी केवडा तह. सराडा उदयपुर हाल निवासी ग्राम बलिचा हनुमान फला तह. गिर्वा उदयपुर
4. दीपिका पुत्री मोहन भील जरिये संरक्षक माता रूपीबाई बेवा मोहन भील निवासी केवडा तह. सराडा उदयपुर हाल निवासी ग्राम बलीचा हनुमान फला तह. गिर्वा उदयपुर
5. नारायण पिता होमा मीणा निवासी केवडा तह. सराडा उदयपुर
6. हकरा पिता धुला मीणा निवासी केवडा तह. सराडा उदयपुर
7. सुन्दर पुत्री वेणा भील निवासी बलीचा हनुमान फला तह. गिर्वा उदयपुर
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा उदयपुर

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू– राजस्व अधिनियम बनाराजगी नामान्तकरण
संख्या 702 ग्राम पंचायत, बलीचा, तह. गिर्वा निर्णय दिनांक 05.05.2006
अपीलान्ट अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चित्तौडा उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 04.12.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपील अपीलान्ट ने प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम बलीचा प.म. गोवर्धन विलास तह. गिर्वा में अपीलान्ट की कृषि भूमि जिसके हाल आराजी संख्या 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1508 किता 8 कुल रकबा 0.8650 हेक्टयर स्थित होकर अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा है उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट के पिता वेणा पिता गुमाना भील की थी जो राजस्व रेकार्ड में भी खातेदार दर्ज थी। वेणा पिता गुमाना भील की मृत्यु होने पर विरासत से खोले गये नामान्तकरण में उनके एक मात्र पुत्र मोहन का ही नाम दर्ज किया गया, जबकि वेणा पिता गुमाना के दो पुत्रियां जिसमें अपीलान्ट रामूडी व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 सुन्दर का नाम दर्ज नही किया गया।

ग्राम पंचायत बलीचा ने उक्त नामान्तकरण तस्दीक करते समय विरासत का गलत सजरा प्रमाणित किया किया तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 का नाम अन्य रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत कर दर्ज नही किया वेणा पिता गुमाना के वारिसान मोहन पुत्र, रामुडी पुत्री, सुन्दर पुत्री, सवलीबाई बेवा वेणा थे, वेणा पिता गुमाना तथा उसका पुत्र मोहन पिता वेणा भी फौत होना जाहिर कर वेणा पिता गुमाना के वारिसों की सही जॉच नही कर सीधे मोहन पिता वेणा नाम दर्ज कर उसके वारिसान रमे"ा, दूर्गा, हीरा, दीपिका, रूपाबाई पत्नी, सवलीबाई बेवा वेणा, के नाम नामान्करण तस्दीक किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विद्ववान अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरण संख्या 702 निर्णय दिनांक 05.05.2006 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के नाम ग्राम बलीचा तह. गिर्वा आराजी संख्या 1487 से 1493 व 1508 किता 8 कु1ल रकबा 0.8650 हेक्टयर में 1/3 हिस्सा दर्ज किये जाने का आदे"ा फरमाया जावें।

अपने अपील मेमो के साथ एक प्रार्थना पत्र मियाद कण्डोन कराये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया ने जब अपने हिस्से भी भूमि पर बैंक ऋण लेने के लिये पटवारी साहब से सम्पर्क किया तो पटवारी साहब ने कहा की आपके नाम से ग्राम पंचायत में नामान्तकरण खुलना रह गया है, जिसके बाद प्रार्थीया ने तुरन्त संबंधित राजस्व रेकार्ड की नकलें दिनांक 12.07.2017 को निकलवाई पता चला की प्रार्थिया के नाम नामान्तकरण खुलने से रह गया। इसके बाद तुरन्त अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर बिना विलम्ब किये उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद लिये जाने का आदे"ा प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 5, 7 बावजूद नोटिस तामिल के उपस्थित नही हुये, रेस्पोडेन्टस संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता मनीष मोगरा द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत कर उपस्थित हुये लेकिन उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 7 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा समुचित अवसर भी दिया गया बावजूद जवाब प्रस्तुत नही करने से न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2019 को रेस्पो.संख्या 1 से 7 के जवाब अवसर बन्द किये गये।

अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में तर्क किया कि राजस्व ग्राम बलीचा प.म. गोवर्धन विलास तह. गिर्वा में अपीलान्ट की कृषि भूमि जिसके हाल आराजी संख्या 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1508 किता 8 कुल रकबा 0.8650 हेक्टयर स्थित है। जिसमें अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा है उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट के पिता वेणा पिता गुमाना भील की थी जो राजस्व रेकार्ड में भी खातेदार दर्ज थी। वेणा पिता गुमाना भील की मृत्यु होने से खोले गये अपीलीय नामान्तकरण जो विरासत का खोला गया था जिसमें अधीनस्थ प्यायालय द्वारा वेणा पिता गुमाना के सही वारिसानों की जॉच नही कर सीधे उनके एक मात्र पुत्र मोहन पिता वेणा के नाम खोलकर तस्दीक कर दिया गया। जबकि नियमानुसार वेणा के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी पुत्र

मोहन के अलावा दो पुत्रियां जिसमें अपीलान्ट रामूडी व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 सुन्दर का नाम दर्ज नही किया गया। अतः अपीलीय नामान्तकरण को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा दर्ज किये जाने का आदे"ा प्रदान किये जाये।

अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के प"चात् पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत अध्ययन किये जाने के बाद न्यायालय का मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तकरण फैसल करते समय स्व. वेणा पिता गुमाना भील के विधिक वारिसानों की सही जॉच नही कर मात्र वेणा के पुत्र के नाम ही भूमि का नामान्तकरण दर्ज कर फैसल कर दिया गया, जो न्यायोचित नही है। स्व. वेणा पिता गुमाना भील के प्रथम श्रेणी के सभी वैध वारिसानों की नियमानुसार जॉच कर सभी वैध वारिसानों के नाम नामान्तकरण दर्ज होकर फैसल होना चाहिये था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया है।

अपील अपीलान्ट् स्वीकार की जाकर अपीलीय नामान्तकरण संख्या 702 निर्णय दिनांक 05.05.2006 ग्राम पंचायत बलीचा का राजस्व ग्राम बलीचा पटवार मण्डल गोवर्धन विलास का निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा को इन निर्दे"ाों के साथ प्रतिपेषित किया जाता है कि स्वं. वेणा पिता गुमाना के वैध (विधिक) वारिसानों की जॉच कर नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज कर फैसल करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को वास्ते आव"यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा–उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Saumya Jha
Date: 2020.01.0 17:28:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: